न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 70 / 2024 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. श्री हीरा पुत्र जोधा लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
02. कमला पुत्री रंगलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
03. श्री गेहरू पुत्र जोधा लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
04. श्रीमति चांदी पत्नि रूपा लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
05. श्री छीतर पुत्र रूपा लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
06. श्री देवा पुत्र रंगलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
07. श्री बालु पुत्र रंगलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
08. श्री माधवलाल पुत्र रंगलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
09. मीरा पुत्री रंगलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।-
10. सुगना पुत्री रंगलाल लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
11. संतु पुत्री जोधा लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
12. सीता पुत्री जोधा लुहार उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

——वादीगण

बनाम

01. श्री हमीर पुत्र हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डोडखेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
02. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

——

<u>दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा — 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः—
01 श्री बन्टु सिह चुण्डावत अधिवक्ता
वादी
02 एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक 25.11.2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 — राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम डोडखेड़ा पटवार हलका चिलेश्वर के खाता संख्या 39 में अंकित आराजी नंबर 108, 109, 641, 642, 643, कुल किता 5 रकबा 1.0622 हैक्टयर भूमि स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष पेश किया जो प्रकरण संख्या 95 / 2023 पर दर्ज होकर दिनांक 15.06.2023 को निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु दिनांक 08. 02.2024 को राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिसमें मौके पर आराजी नंबर 641, रकबा 0.3920 हैक्टर मे से आधा बिस्वा एवं आराजी सख्या 643 रकबा 0.2529 हैक्टर मे से आधा विस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 हमीर पुत्र हजारी गुर्जर 01 बिस्वा पर अवैध कब्जा पाया गया। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 को पत्थरगढी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी को सिपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण वाद पत्र पेश कर भू-अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम डोडखेड़ा पटवार हल्का चिलेश्वर आराजी नंबर 641, रकबा 0.3920 हैक्टर मे से आधा बिस्वा एवं आराजी सख्या 643 रकबा 0.2529 हैक्टर मे से आधा बिस्वा पर

उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 हमीर पुत्र हजारी गुर्जर 01 बिस्वा पर अवैध कब्जा । है उसे हटाकर वादी को करने का निवेदन किया।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलवी हेतु जरिये स्टर्ड़ एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड़ एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रुक रुक कर ाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 02 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के देश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दरत्तावेजात का वलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को डकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारन के अधिवक्त की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएवः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम डोड खेडा के खाता सख्या 39 मे वर्णित आराजी नंबर 641, रकबा 0.3920 हैक्टर मे से आधा बिस्वा एवं आराजी सख्या 643 रकबा 0.2529 हैक्टर मे से आधा विस्वा कुल किता 02 रकबा 0.6449 मे से रकबा 0.0126 हैक्टर भुमि पर प्रतिवादी संख्या 01 हमीर पुत्र हजारी गुर्जर 01 बिस्वा परं किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सुिपर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो ।पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा